रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1989/भाद्र 15, 1911
NO. 551] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 1989/BHADRA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1989

(वाणिज्य पोत परिवहन)

का. आ. 700 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 150 की उप-धारा (1) के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, जहां तक उनका संबंध भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना

सं. का.आ. 678(अ) तारीख 29 अगस्त, 1989 के अधीन गठित अधिकरण में विवाद के न्याय-निर्णयन के निदेश से है, नौवहन महानिदेशक द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी ।

[फा. सं. सी-18018/1/89-एम टी]
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,
एस एस ककड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1989

(Merchant Shipping)

S.O. 700(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers exerciseable by it under sub-section (1) of section 150 of the said Act, in so far as they relate to reference of disputes for adjudication to the tribunal constituted under notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) No. S.O. 678(E), dated the 29th August, 1989, shall be exerciseable also by the Director General of Shipping.

[File No. C. 18018/1/89-**M.T.**]
By Order and in the name of the President,
S.N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989